न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिक अधिकारी)

2021-37RAABarmer2025-01RTA223 Dansingh ors Vs Padamsingh etc

1. दानसिंह पुत्र लूणसिंह
2. दुर्गसिंह पुत्र लूणसिंह फौत के कायम मुकाम–
   2.1. श्रीमती रेखा कंवर पत्नी स्व. दुर्गसिंह
   2.2. खेतपालसिंह पुत्र स्व. दुर्गसिंह
   2.3. खीवराजसिंह पुत्र स्व. दुर्गसिंह
   अपीलान्ट संख्या 2.2 से 2.3 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती रेखा कंवर पत्नी स्व. दुर्गसिंह
3. प्रतापसिंह पुत्र लूणसिंह
4. आसुसिंह पुत्र खुशालसिंह
5. फतेहसिंह पुत्र खुशालसिंह
6. भलेसिंह पुत्र सुरतानसिंह
7. जबरसिंह पुत्र सुरतानसिंह
   जाति राजपुत निवासी सगरा तहसील व जिला जैसलमेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. पदमसिंह पुत्र नगसिंह
2. मुस्मात् गवरी कंवर बेवा स्व. नगसिंह
3. बाबूसिंह पुत्र कल्याणसिंह
4. जगमालसिंह पुत्र भंवरसिंह
5. जबरसिंह पुत्र भंवरसिंह
6. प्रेमसिंह पुत्र भंवरसिंह
7. मुस्मात् उगम बैवा भंवरसिंह
8. बनेसिंह पुत्र आईदानसिंह
9. कंवराजसिंह पुत्र विजयसिंह
10. मूलसिंह पुत्र विजयसिंह
11. लाभूसिंह पुत्र विजयसिंह
12. गोपालसिंह पुत्र विजयसिंह
13. मु. सिरिया कंवर पत्नी विजयसिंह
    जातियान, राजपुत निवासी नरसिंहपुरा तहसील शेरगढ जिला जोधपुर हाल निवासी सगरा तहसील जैसलमेर।
14. श्रीमान् तहसीलदार जैसलमेर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 फरवरी 2021 सहायक कलक्टर जैसलमेर राजस्व मूल वाद संख्या 01/2020 दानसिंह व अन्य बनाम पदमसिंह इत्यादि

उपस्थित–

श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

श्री हुकमसिंह चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नि र्ण य

दिनांक : 12 मार्च 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैसलमेर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 01/2020 अनवान दानसिंह व अन्य बनाम पदमसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 फरवरी 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 09 मार्च 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 90, 188 एवं 209 के तहत वादग्रस्त आराजीयात ग्राम सगरा तहसील जैसलमेर के खसरा नम्बर 16 रकबा 230 बीघा, खसरा नम्बर 17 रकबा 345 बीघा, खसरा नम्बर 18 रकबा 345 बीघा, खसरा नम्बर 19 रकबा 46 बीघा का कुल रकबा 966 बीघा के संबंध में पुश्तैनी आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादीगण/अपीलांट्स का वाद खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम सगरा तहसील जैसलमेर के खसरा नम्बर 16 रकबा 230 बीघा, खसरा नम्बर 17 रकबा 345 बीघा, खसरा नम्बर 18 रकबा 345 बीघा, खसरा नम्बर 19 रकबा 46 बीघा का कुल रकबा 966 बीघा संवत 2012 में समरी बन्दोबस्त के समय केसरसिंह पुत्र स्व. श्री जसवन्तसिंह, बलवन्तसिंह पुत्र खीमसिंह तथा जुंजारसिंह पुत्र जुवारसिंह के नाम से खुद काश्त खातेदारी के रूप में दर्ज होकर पर्चा खतौनी 1/3–1/3 हिस्सेदारी के रूप में समरी रूप से काश्तकार घोषित किये गये जो संवत् 2012 से लगायत सवत् 2022 तक बदस्तुर केसरसिंह की मृत्यु तक चलते रहे एवं गिरदावरी भी संयुक्त रूप से दर्ज होती रही थी। संवत् 2023 में अपीलान्ट के वालिद (पिता) केसरसिंह पुत्र जसवन्तसिंह की मृत्यु हुई तो नामान्तकरण संख्या एक के जरिये खुशालसिंह पुत्र. केसरसिंह व सुतानसिंह पुत्र केसरसिंह का नाम संयुक्त रूप से बलवन्तसिंह पुत्र खीमसिंह एवं जुंजारसिंह पुत्र जुवाहरसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज हुई। इस प्रकार वर्तमान कब्जे के अनुसार भी खसरा नम्बर 16 व 17, 18, 19 की भूमि रकबा 966 बीघा संयुक्त रूप से ही कब्जे काश्त की हैं। पैमाईश संवत 2012 में जो कमरी तौर से की गई थी, उसी पैमाईश के आधार पर खसरा नम्बर 16, 17, 18 व 19 की भूमि स्थाई सेटलमेन्ट में नये पड़े खसरा नम्बर 30 का रकबा 58.06 बीघा, खसरा नम्बर 32 रकबा 92 बीघा एवं खसरा नम्बर 127 रकबा 30.06 बीघा, खसरा नम्बर 131 रकबा 48 बीघा, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.16 बीघा, खसरा नम्बर 183 रकबा 17.00 बीघा तथा खसरा नम्बर 224 रकबा 71.12 बीघा के रूप में केसरसिंह के पुत्रान् सर्व श्री खुशालसिंह व सुरतानसिंह के नाम जो नामान्तकरण संख्या 01 संवत् 2023 केसरसिंह की मृत्यु

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपरान्त भर कर पारित किया उसी के आधार पर काश्तकार के रूप में दर्ज हुए एवं नये खसरा नम्बर 128, 175, 176,180 एवं 252 का कुल रकबा 247 बीघा 17 बिस्वा का जुंजारसिंह के नाम दर्ज हुऐ तथा खसरा नम्बर 34, 117, 129, 146, 181, 236 का कुल रकबा 396 बीघा बलवन्तसिंह पुत्र खीमसिंह के खातेदारी में दर्ज हुए जो भू. प्रबंध विभाग से मिलावट कर बलवन्तसिंह के वारिसों द्वारा अपने 1/3 हिस्से से अधिक भूमि अपने नाम दर्ज कराई गई है। स्थाई प्रंबध अधिकारियों द्वारा एक फर्द इन्तकलाफ संख्या 3 कायम की थी। उस फर्द इन्कलाफ में सकरी खसरा नम्बर 16 से 19 का रकबा 966 बीघा की भूमि केसरसिंह पुत्र जसवन्तसिंह, बलवन्तसिंह पुत्र खीमसिंह तथा जुंजारसिंह पुत्र जुवाहरसिंह के नाम 1/3–1/3 हिस्सा के रूप में संयुक्त खातेदारी में समरी बन्दोंबस्त में दर्ज हुई। इसी फर्द इन्तकाल में ही केसरसिंह का फौत होना उल्लेखित किया गया तथा स्व. केसरसिंह के दो पुत्र खुशालसिंह व सुरतानसिंह का नाम खातेदारी में 1/3 हिस्सेदारी में दर्ज होना चाहिए था, लेकिन केसरसिंह के फौत उपरान्त वल्दीयत बता कर खुशालसिंह, नगसिंह, आईदानसिंह व कल्याणसिंह चार लड़के बताते हुए खातेदारी में गलत रूप से दर्ज करवा दी, जबकि केसरसिंह के दो पुत्र खुशालसिंह व सुतानसिंह ही थे। रेस्पोडेन्ट के वालिदों ने स्थाई सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियो से मिलावट कर केसरसिंह को फौत दर्फ इंतकाल में फौत बताते हुए उक्त फर्द इन्तकाल में नगसिंह, भंवरसिंह पि. सांगसिंह ने अपने अंगुष्ठ निशान के सबूत के साथ केसरसिंह को फर्जी पिता बता कर उक्त खसरा की भूमि हड़प करने की नियत से कर्मचारियों से मिलावट कर कपट के द्वारा भू. प्रबंध कर्मचारियों व अधिकारियो से सांठ गांठ कर खसरा नम्बर 32,127,131 को नगसिंह ने अपने नाम व खसरा नम्बर 115, 224 बाबुसिंह पिसरान् कल्याणसिंह तथा खसरा नम्बर 183 में पिता का नाम केसरसिंह का फर्जी लिख कर उक्त भूमि सांगसिंह के परिवार वालो ने गलत रूप से अपने नाम दर्ज करवा ली थी, जबकि नगसिंह, आईदानसिंह व कल्याणसिंह तीनो ही सांगसिंह के पुत्र है। इन तीनो में कोई भी केशरसिंह का पुत्र नहीं है इसलिए केसरसिंह के वारिसान खुशालसिंह व सुरतानसिंह (अपीलान्टगण) का खसरा नम्बर 32 मिन खसरा नम्बर 32/346 खसरा नम्बर 127, खसरा नम्बर 131, खसरा नम्बर 131/304, खसरा नम्बर 115, खसरा नम्बर 224, खसरा नम्बर 183/393 कुल रकबा 274 बीघा 18 विसवा ग्राम सगरा में रेस्पोडेन्टगण (प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 के वारिस) का नाम खातेदारी से दुरस्त कर (हटाकर) उक्त भूमि अपीलान्टगुण के नाम संयुक्त रूप से मूल खसरा नम्बर 16 से 19 के अनुसार खातेदारी में संयुक्त रूप से दर्ज करवाने के अधिकारी है। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस जारी रखने हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद में वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत प्रतिवादीगण से जवाब लेकर, वाद एवं जवाब के आधार पर तनकीयात कायम कर उस वादीगण एवं प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार वाद का निस्तारण किये जाने के बजाय वादीगण के वाद को विधिविरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तरीके से खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में आलौच्य निर्णय व डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किये जाने से निरस्त करने के काबिल है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैसलमेर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 01/2020 अनवान दानसिंह व अन्य बनाम पदमसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 फरवरी 2021 को अपास्त किया जावे एवं मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर वाद के विधिनुसार निस्तारण के निर्देश जारी किये जावे। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 14.11.2019 पेज 730, आर.आर. डी. 1983 पेज 64 की न्यायिक नजीरे पेश की।

जवाब में उतरदाता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात वक्त सेटलमेंट से रेस्पो. की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। वक्त सेटलमेंट संयुक्त परिवार के सदस्यों द्वारा सहमति से सेटलमेंट अधिकारी के समक्ष समक्ष आवेदन प्रस्तुत वादग्रस्त आराजीयात को रेस्पोडेंट्स की खातेदारी में दर्ज किये जाने का निवेदन किये जाने पर सेटलमेंट अधिकारी द्वारा जरिये सहमति वादग्रस्त आराजीयात रेस्पो. के नाम दर्ज की गई है। तत्समय किसी प्रकार की बदमाशी नहीं हुई है। अपीलांट्स द्वारा 54 वर्ष बाद सन् 1966 के इन्द्राज को चुनौती दिये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है जो कतई विधिसम्मत नहीं है। धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत यदि किसी व्यक्ति का लंबे समय तक भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं रहता है तो उसके खातेदारी अधिकार विलुप्त हो जाते है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में भी अपीलांट्स के खातेदारी अधिकार विलुप्त चुके है। यह उल्लेखनीय है अपीलांट के पूर्वज तत्समय ग्राम सगरा छोड़कर ग्राम शेरगढ बस गये थे तथा शेरगढ में जमीन ले ली थी। अपीलांट्स द्वारा वास्तविक तथ्यों को दावे में छुपाया गया है। अपीलांट्स दानसिंह वगैरह के पिता लूणसिंह द्वारा सन् 1978 में खुद को भूमिहीन बताते हुए भूमि अपने पक्ष में आवंटित करवायी थी, जिससे यह साबित है कि सन् 1966 का इन्द्राज विधिसम्मत है एवं संयूक्त परिवार की सहमति से करवाया गया था। वकील रेस्पो. ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि अपीलांट जबरसिंह एवं भलेसिंह द्वारा दिनांक 21.06.2011 को वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 131 रकबा 37.15 बीघा में से रकबा 22 बीघा भूमि खरीद की गई थी, जिससे यह साबित है कि अपीलांट को इस तथ्य की भलीभांति जानकारी रही है कि वादग्रस्त आराजीयात रेस्पो. की खातेदारी में दर्ज है। अपीलांट्स द्वारा सन् 2011 के बाद सन् 2020 में वाद प्रस्तुत किया गया तथा उक्त सभी तथ्यों को छुपाया गया है। आदेश 14 नियम 02 सीपीसी में प्रावधान है कि जहां पक्षकारान के मध्य विवाद के न्याय निर्णयन को अन्तिमता प्रदान किया जाना और अनावश्यक मुकदमें बाजी जो व्यर्थ रूप से किसी पक्षकार को तंग करने के लिये की गई हो, को रोकना न्यायालय का दायित्व है। जहां न्यायालय विवादक बिन्दुओं की विरचंना के लिए दस्तावेजो की परीक्षा कर रहा है और वाद को विधि के बिन्दु पर वर्णित होने का अभिवाक करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आक्षेपित किया गया है, वहां विधि विवादक पर निपटारा प्रथम किया जाना चाहिये और अन्य विवाद को मुल्तबी किया जाना चाहिये। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 के प्रावधानों के अनुसार भी यदि छल या मिथ्या व्यपदेशन से यदि आदेश प्राप्त रहा था तो उसे भू अभिलेख अधिकारी के समक्ष या अपीलाय न्यायालय में पक्षकारों द्वारा अपने जवीनकाल में चुनौती दी जाती तथा इस प्रश्न को भू अभिलेख अधिकारी या अपीलय क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया जाता ऐसा इस मामले में नहीं हुआ है और आदेश 23 नियम 3 क सी.पी.सी. के अन्तर्गत वाद चलने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विधिक बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधिबाधित मानते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन पाये जाने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पो. द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2025(2)सी.जे.(सिवि.)(एस.सी.) 731, ए.आई.आर.2016 राज. 89, आर.एल.डब्ल्यू 2015(1)आर.जे. 189(एच.सी.), 2008(2)आर.एल.डब्ल्यू. 1390(राज.), 1994(2) सीसीसी 131 (एस.सी.), 2019(1)सीसीसी 484(ईलाहबाद), 2004(2)सीसीसी 462(राजस्थान) की न्यायिक नजीरे पेश की।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों को प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ससम्मान परिशीलन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स का अपने वाद में कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट्स का कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात संवत 2012 में समरी बन्दोबस्त के समय केसरसिंह पुत्र स्व. श्री जसवन्तसिंह, बलवन्तसिंह पुत्र खीमसिंह तथा जुंजारसिंह पुत्र जुवारसिंह के नाम से खुद काश्त खातेदारी थी। संवत् 2023 में अपीलान्ट्स के वालिद केसरसिंह पुत्र जसवन्तसिंह की फौतेदगी पर नामान्तकरण संख्या एक के जरिये वादग्रस्त आराजीयात खुशालसिंह पुत्र. केसरसिंह व सुतानसिंह पुत्र केसरसिंह का नाम संयुक्त रूप से दर्ज हुई। बलवन्तसिंह के वारिसान् द्वारा सेटलमेंट अधिकारी से मिलीभगत कर छल–कपट से अपने 1/3 हिस्से से अधिक भूमि अपने नाम दर्ज कराई गई है। अपीलांट्स के उक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध भू–प्रबधं विभाग (फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा) ग्राम सगरा, तहसील जैसलमेर, जिला जैसलमेर डिवीजन जोधपुर के मुताबिक भू प्रबन्ध अधिकारी उक्त फर्द पर इस आशय का आदेश जारी किया गया है कि **"खातेदारों द्वारा परस्पर भूमि विभाजन करने व तदनुसार भूमि पर कृषि व उतराधिकार अधिकार स्वीकार करने के फलस्वरूप कृषि अधिकार के अनुसार प्रविष्ठि स्वीकार की जाती है।"** यह उल्लेखनीय है कि सेटलमेंट की कार्यवाही के दौरान भू प्रबंध अधिकारी अधिकारी के समक्ष पक्षकारान् द्वारा उपस्थित होकर अपनी स्वीकृति प्रदान किये जाने पर भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा पक्षकारान् के कब्जे काश्त की जांच कर इस आशय का आदेश जारी कर वादग्रस्त आराजीयात रेस्पो. के नाम दर्ज की गई है। उक्त फर्द पर पक्षकारों की अभिस्वीकृति

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

फलस्वरूप उनके अंगुष्ठ निशान व हस्ताक्षर मौजूद है। उपरोक्त पक्षकारान् द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त स्वीकारोंक्ति को चुनौती दिये जाने बाबत तथ्य अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत नहीं किये गये है।

आदेश 23 नियम 3 क में प्रावधान है कि यदि समझौता डिक्री (Compromise Decree) पारित हो गई है, तो उस पर सवाल उठाने या उसे रद्द करने के लिए अलग से नया मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। हस्तगत मामले में भी अपीलांट्स के पूर्वजों द्वारा वादग्रस्त आराजीयात रेस्पो. के नाम दर्ज किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की गई है। कानूनन सहमति से हुए जोत के विभाजन को अपीलांट्स उक्त वाद के जरिये चुनौती देने के अधिकारी नहीं ठहरते है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद आदेश 23 नियम 3 क सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार भी विधि बाधित ठहरता है।

यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट संख्या छः व सात द्वारा रेस्पो. संख्या एक व दो के पिता/पति से दिनांक 21.06.2011 को वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 131 रकबा 37.15 बीघा में से रकबा 22 बीघा भूमि खरीद की गई थी, जिसकी पुष्टि विचारण न्यायालय पर उपलब्ध उक्त पंजीबद्ध विक्रय विलेख से होती है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक यह तथ्य भी सामने आया है कि अपीलांट्स के पिता लूणसिंह द्वारा स्वयं को भूमिहीन बताते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 81 के तहत उप–जिलाधीश जैसलमेर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उन्हें ग्राम सगरा के खसरा नंबर 130 में से रकबा 65.10 बीघा भूमि आंवटित किया जाना पाया जाता है। उक्त तथ्य से यह साबित है कि अपीलांट्स को पूर्व राजस्व रेकर्ड/पक्षकारान् की सहमति से राजस्व रेकर्ड में हुए इन्द्राजात की भली भाति जानकारी रहीं है। उनके द्वारा उक्त तथ्यों को छुपाते हुए इतनी लंबी अवधि बाद वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों में माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा पूर्व में सहमति से हुए विभाजन/इन्द्राज के विरूद्ध लंबी अवधि बाद प्रस्तुत वाद को परिसीमा से बाधित माना है। हस्तगत मामले में भी अपीलांट्स को वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रेकर्ड की भली भांती जानकारी रहने के बावजूद उनकी ओर से पूर्व सहमति से हुए इन्द्राजों को चुनौती दी गई है। लिहाजा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों के परिप्रेक्ष्य में वादीगण का वाद भी परिसीमा से वर्जित पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 23 नियम 3 क के प्रावधानों के अनुसरण में सहमति से हुए विभाजन को पुनः विवाद का विषय बनाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को विधि बाधित मानते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जैसलमेर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 01/2020 अनवान दानसिंह व अन्य बनाम पदमसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 फरवरी 2021 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर